

कार्यालय निदेशक माध्यमिक, शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

-:: कार्यालय-आदेश:-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11 (7)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं आदेश संख्या एफ.11 (7)/वित्त (नियम) पार्ट -1/ 2008 दिनांक 06.10.2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा में निम्नांकित व्याख्याता (समाजशास्त्र) का राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के नियम-19 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित केरियर प्रगति), कॉलम संख्या 11 के अनुसार ग्रेड वेतन, कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है

क.स.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/ राबाउमावि)	जन्मतिथि	व्याख्याता विषय	प्रथम नियुक्ति तिथि	पद पर कार्यग्रहण तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	स्वीकृत एसीपी सेवा अवधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	वेतन बैंड	स्वीकृत ग्रेड वेतन/पें मैट्रिक्स में लेवल
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
1	खजान सिंह, डाईट धौलपुर	01.12.1961	समाजशास्त्र	01.07.1987	01.06.2015	डीपीसी 2013-14	30 वर्ष	01.07.2017	15,600-39100	6000

उक्त कार्मिको का वेतन निर्धारण संबधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावे। इस स्वीकृति का इन्द्राज सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।



(नथमल डिडेल)

आई0ए0एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक 12-11-2018

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/एसीपी/2018-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित, संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
2. संबंधित, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
3. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) मा.शि.।
4. प्रधानाचार्य, डाईट धौलपुर।
5. संबंधित कार्मिक
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. गार्ड पजिका



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर